रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2006/वैशाख 8, 1928
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2006/VAISAKHA 8, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

सं. 5 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/89/180/विविध-65/ए एम 05/पी सी-1(क).—विदेश व्यापार नीति, 2004—09 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 2.32.2(क) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''केवल उन विदेशी संभरकों से आयात करने की अनुमति दी जाएगी जो विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकृत हैं तथा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 5-ख के तहत सूचीबद्ध हैं। केवल उन संभरकों हेतु पंजीकरण अपेक्षित होगा, जिनका भारत में स्थित आयातकों से सीधा करार होगा।''

2. 2.32.2(छ) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''किसी उल्लंघन के मामले में, विदेशी संभरक को अपंजीकृत कर दिया जाएगा। उस भारतीय फर्म के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत आयात कर रही है।

आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2006 होगी। आवेदन ई-मेल, कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय, एच-विंग, उद्योग भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001 में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

पंजीकृत स्रोतों से आयात की नई प्रणाली 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगी। तथापि, उन मामलों में जहाँ लदान बिल की तिथि, 1 अगस्त, 2006 और उससे पहले की है, आयात की अनुमति समय-समय पर यथा-संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 1 दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के तहत अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.32 के अनुसार पोत लदान पूर्व निरीक्षण के आधार पर दी जाएगी।''

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th April, 2006

No. 05 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/89/180/Misc. 65/AM05/PC-I(A).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—09 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1).

1. Para 2.32.2 (a) will be amended to read as follows :

"Import will be allowed only from overseas suppliers who are registered with the Directorate General of Foreign Trade and are listed under Appendix 5-B of the Handbook of Procedures. Registration will be required only for those suppliers that directly contract with importers located in India."

2. Para 2.32.2(g) will be amended to read as follows :

"In case of any violation, the overseas supplier would be deregistered. Action will also be taken against the Indian firm which is importing the scrap under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

The last date for filing the applications will be 31st May, 2006. Applications can be sent by e-mail, courier, or in person to the Directorate General of Foreign Trade, H-Wing, Udyog Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110 001.

The new system of import from registered sources will come into effect from 1st April, 2006. However, in cases where Bill of Lading is dated 1st August, 2006 and before, imports will be allowed on the basis of Pre-Shipment Inspection regime in terms of Para 2.32 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), notified vide Public Notice No. 1 dated 8th April, 2005 and as amended from time to time."

This issues in public interest.

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.